न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प को भोपाल ‌‌{मध्यप्रदेश}

R-4019-PBR/16

01- महेशचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 श्री जमना प्रसाद गुप्ता
उम्र करीब 70 वर्ष,

02- उर्मिला गुप्ता पुत्री स्व0 श्री जमनाप्रसाद गुप्ता
उम्र करीब 65 वर्ष, {अविवाहित}

03- श्रीमति गीता गुप्ता उम्र लगभग 60 वर्ष, पत्नि
श्री पुरूषोत्तम गुप्ता पुत्री स्व0 श्री जमनाप्रसाद गुप्ता
निवासी- वार्ड नंबर-02 जयप्रकाश नगर पुरानी इटारसी
तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश -----पुर्नरीक्षणकर्तागण

बनाम

01- प्रभावती गुप्ता उम्र लगभग 65 वर्ष, पत्नि छगनलाल गुप्ता, पुत्री भग्गूलाल गुप्ता, निवासी- गुप्ता फटाका भंडार के सामने काडदीरोड़ परतवाड़ा
तहसील अचलपुर जिला अमरावती {महाराष्ट्र}

02- शरद कुमार गुप्ता पुत्र शालिकराम गुप्ता उम्र
लगभग 57 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर-02 पुरानी
इटारसी, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद

03- संतोष कुमार पुत्र शालिगराम गुप्ता उम्र लगभग
68 वर्ष,

04- सतीश कुमार वल्द स्व0 शालिगराम उम्र लगभग
61 वर्ष,

05- देवेन्द्र कुमार वल्द स्व0 शालिगराम उम्र लगभग
51 वर्ष, क्रमांक-03 लगायत 05 निवासी-
प्रभात नर्सरी पवारखेड़ा, तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश

06- श्रीमति चित्राबाई पुत्री स्व0 श्री शालिगराम
पत्नि लवकुमार गुप्ता, उम्र करीब 58 वर्ष,
निवासी-रायगढ़ गाजाचौक पट्टी बंदूकवाले
की दुकान जिला रायगढ़ {छत्तीसगढ़}

07- रेखाबाई पुत्री स्व0 श्री शालिगराम उम्र लगभग
48 वर्ष, नि. वार्ड नं. 2 पुरानी इटारसी

M.C. Gupta उर्मिला गुप्ता गीता गुप्ता

तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) ---- उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है कि:-

पुनरीक्षणकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी मध्यप्रदेश के प्रकरण क्रमांक-68/अ-27/2012-13 जिसमें पक्षकार शरद गुप्ता विरूद्ध संतोष कुमार गुप्ता वगैरह में पारित आदेश दिनांक 9.11.16 (से क्षुब्ध एवं दुखित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4619 –पीबीआर/16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–11–16	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9–11–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 व आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार करने में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है क्योंकि आपत्तिकर्ता द्वारा मृतक भूमिस्वामी की पत्नी होने के आधार पर उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	